—: न्यायालय— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन (म0प्र0) :—

संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश

कमांक— 1016 /2026 उज्जैन, दिनांक : 29 /10/2026

आपराधिक कार्य विभाजन आदेश कमांक—591/2026, उज्जैन दिनांक 20/04/2026 एवं संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश कमांक 940/2026 उज्जैन, दिनांक 12/10/2026 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जा रहा है :—

क.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम	स्थानीय क्षेत्र	कार्य का विवरण
		तहसील—नागदा	
25.	**श्री मनीष पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागदा**	तहसील नागदा	1— अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :— **1— नागदा**
		तहसील नागदा	2— कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन के आदेश क. 133/एक—11—1/11 उज्जैन दिनांक 11/09/2025 के आदेशानुसार Water (Prevention and Controll of Pollution) Act 1974, The Air (Prevention and Controll of Pollution) Act 1981, The Environment Protection Act, The Indian Forest Act and The Wild Life Act के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		तहसील नागदा	3— भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र नागदा** से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	4— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय

CamScanner

			समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ।
26.	**श्रीमती सौम्या विजयवर्गीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागदा**	तहसील नागदा	**मातृत्व अवकाश**
27.	**सुश्री फातिमा अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागदा**	तहसील नागदा	1– अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :– **1– उन्हेंल**
		तहसील नागदा	2– भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र उन्हेंल** से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	3– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ।
28.	**श्रीमती सोनम शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागदा**	तहसील नागदा	1– अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :– **1– बिरलाग्राम** (तहसील नागदा में आने वाला क्षेत्र) **2– जी0आर0पी0 चौकी, नागदा**
		तहसील नागदा	2– कार्यालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन के आदेश क्र. 02/एक–15–1/ 2013 उज्जैन दिनांक 03/01/2019 के आदेशानुसार तहसील नागदा सीमा क्षेत्र में उत्पन्न महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण जिनकी सुनवाई क्षेत्राधिकारिता उन्हें/ न्यायालय को है एवं तहसील नागदा सीमा क्षेत्र में उत्पन्न महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं घरेलू हिंसा से महिला का

CamScanner

			संरक्षण अधिनियम 2005 से उद्भुत होने वाले समस्त प्रकरण।
		तहसील नागदा	3– तहसील नागदा सीमा क्षेत्र में उद्भूत होने वाले दं.प्र.सं.की धारा 125 से 128 तक के अंतर्गत, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत आने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां।
		तहसील नागदा	4– भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र बिरलाग्राम** (तहसील नागदा में आने वाला क्षेत्र), **जी0आर0पी0 चौकी नागदा** से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	5– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ।

29 OCT 2026

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से <u>आज दिनांक– /10/2026</u> से ही प्रभावशील होगा।

अनुमोदित

29-10-26

(पी0 सी0 गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म0प्र0)

29/10/2026

(अश्विन परमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (म0प्र0)

<u>प्रतिलिपि :–</u>

पृष्ठांकन कमांक– 1016 /2026

उज्जैन, दिनांक– 29 OCT 2026 /10/2026

1– माननीय उच्च न्यायालय म0 प्र0 जबलपुर के ज्ञापन कमांक डी/3175/तीन–10–48 /98 जबलपुर दिनांक 09–सितम्बर–2009 के पालन मे सादर प्रेषित।

2– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।

3– माननीय श्री/श्रीमती समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन/खाचरौद/नागदा/महिदपुर/तराना एवं बड़नगर की ओर ई–मेल के माध्यम से सूचनार्थ सादर प्रेषित।

CamScanner

4– श्री / श्रीमती / कु. समन ए.सी. जे.एम. / जे.एम.एफ.सी.उज्जैन / खाचरौद / नागदा / बड़नगर / तराना / महिदपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

5– अध्यक्ष अभिभाषक संघ उज्जैन / खाचरौद / नागदा / बड़नगर / तराना / महिदपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

6– जिला अभियोजन अधिकारी उज्जैन की ओर इस निर्देश के साथ कि जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करें।

7– समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण जिला उज्जैन को ई.मेल द्वारा सुचित करने हेतु एवं जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सिस्टम आफिसर जिला न्यायालय उज्जैन को प्रेषित।

29/10/2026

(अश्विन परमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (म0प्र0)

CamScanner